



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Email – udaanscheme.cce@gmail.com

क्रमांक:— एफ4(200)(3)क्षे.का.ज./आकाशि/उड़ान योजना/2025/

दिनांक:

प्राचार्य,

समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

विषय:— उड़ान योजना के नाम एवं प्रतीक चिह्न (Logo) में परिवर्तन के सम्बंध में।

संदर्भ:— महिला अधिकारिता विभाग का पत्रांक 12603443, दिनांक 24.12.2024 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालयों को सूचित कर लेख है कि, निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा संचालित "आई एम शक्ति उड़ान योजना" जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को राजकीय महाविद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं, का नाम परिवर्तित कर "कालीबाई भील उड़ान योजना" के नाम एवं योजना के संशोधित नवीन प्रतीक चिह्न (Logo) का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(सुनील भाटी)  
अतिरिक्त आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (अकादमिक), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (उड़ान योजना) को निर्देशित कर लेख है कि वे अपने जिले से संबंधित समस्त राजकीय महाविद्यालयों को उक्त के क्रम में सूचित करना सुनिश्चित करें।
5. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज० को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।

Document certified by SUNIL BHATI  
<sunilbhatijaipur@yahoo.com>.

Digitally Signed by Sunil Bhati  
Designation : Additional  
Commissioner

Date :07-01-2025 03:28:07



क्रमांक:- प.19(2)(1)निमअ/उड़ान/2021 E-0312/

दिनांक :

1. महानिरीक्षक (कारागार), महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
2. प्रबंधक निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा (कॉलेज) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
9. निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ बोर्ड, जयपुर।
10. निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान।
11. परियोजना निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर।
12. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान।
13. निदेशक (प्रशिक्षण), कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (ITI), प्रावधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खण्ड पीठ।
15. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-4), उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय: उड़ान योजना के नाम एवं Logo में परिवर्तन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करने हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा संचालित "आई एम शक्ति उड़ान योजना" जिसमें 10-45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं एवं बालिकाओं को राजकीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, अन्य राजकीय संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं, का नाम परिवर्तित कर "कालीबाई भील उड़ान योजना" किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अतः योजना के सदर्थ में भविष्य में किये जाने वाले समस्त पत्राचार में "कालीबाई भील उड़ान योजना" के नाम एवं योजना के संशोधित नवीन Logo का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

आयुक्त  
महिला अधिकारिता

क्रमांक:- प.19(2)(1)निमअ/उड़ान/2021 E-0312/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
5. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता जिला कार्यालय।
6. समस्त उपनिदेशक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग(ICDS) जिला कार्यालय।
7. समस्त नोडल अधिकारी (उड़ान योजना), सम्बंधित विभाग.....
8. रक्षित पत्रावली।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Nandu Rajeshwar  
Designation : Commissioner  
Date: 2024.12.12 12:19:36 IST  
Reason: Approved



